मुख्य सचिव, महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 01–04–2019 को उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों में अस्थाई गोवंश आश्रय स्थलों के संचालन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों के समाधान हेतु आयोजित बैठक का कार्यवृत्त :–

बैठक में उपस्थित अधिकारीगणों की सूची संलग्न है।

1 प्रमुख सचिव महोदय द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति की राज्य स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समन्वय समिति की प्रथम समीक्षा बैठक दि0–15.01.2019 में सम्पन्न हुयी थी, जिसमें अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति विषयक परामर्शी मार्ग–निर्देशों का प्रस्तुतीकरण किया गया। इस सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 28 जनवरी, 2019 निर्गत किया गया। इस पर शासकीय विभागों द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं करायी गयी है। अतः पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

2 अस्थाई गोवंश आश्रय स्थलों के संचालन हेतु दिनांक 02 जनवरी, 2019 के शासनादेश द्वारा विभिन्न विभागों को दिये गये निर्देशों के क्रम में निम्न विभागों से कियान्वयन के सम्बन्ध में किये गये कार्यों की समीक्षा की गयी तथा मुख्य सचिव महोदय द्वारा सम्बन्धित शासकीय विभागों को निर्देशित किया गया कि यथा आवश्यकता कार्य सम्पन्न कराने हेतु विभागीय संक्षम अधिकारियों/कर्मचारियों का दायित्व इंगित/निर्धारित करते हुये एक सप्ताह में शासनादेश जारी करें:–

कार्य	सम्बन्धित विभाग
भूमि चिन्हांकन व भूमि उपलब्ध कराना	राजस्व,नगर विकास,सिंचाई,मत्स्य,उद्यान,कृषि गन्ना विकास
भूमि को उपयोग योग्य बनाना	कृषि, नगर विकास, ग्राम विकास, पंचायती राज, समाज कल्याण
गोवंश को पकड़ने का कार्य	नगर विकास, पंचायती राज (स्थानीय निकाय)
जल की व्यवस्था	सिंचाई, लघु सिंचाई, नेडा, नगर विकास
चारे की व्यवस्था	ग्राम विकास, पंचायती राज, नगर विकास
प्रकाश की व्यवस्था	नेडा, नगर विकास, ग्राम विकास, पंचायती राज
सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्था	गृह, नगर विकास, राजस्व, पंचायती राज, ग्राम विकास
वृक्षारोपण	वन, पंचायती राज, ग्राम विकास, नगर विकास
पशु चिकित्सा सेवाएं	पशुपालन विभाग

(कार्यवाही उक्त सम्बन्धित विभाग)
(समयावधि–01 सप्ताह)

3 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों के वित्त पोषण की व्यवस्था :–

3.1 वर्तमान में विद्यमान व्यवस्था के अनुसार जिला स्तर पर प्राप्त धनराशि तीन स्तरों के पश्चात गो आश्रय स्थलों के व्यवस्थापक/संचालक के पास पहुँचती है। विचारोपरान्त यह मत स्थिर हुआ कि उक्त व्यवस्था उचित है। भविष्य की मांग के सापेक्ष धनराशि उपलब्ध कराने विषयक यह निर्णय हुआ कि समस्त जिलाधिकारियों से अनुमानित व्यय की मांग का प्रस्ताव प्राप्त कर धनराशि जिलाधिकारियों को आवंटित की जाय। राज्य स्तरीय समिति द्वारा सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि वर्तमान व्यवस्था में यदि सुधार की आवश्यकता है, तो यथा आवश्यक कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में विचार–विमर्श कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही पशुधन विभाग, कृषि उत्पादन आयुक्त)

3.2 योजनान्तर्गत पशुधन विभाग के बजट में वित्तीय वर्ष 2019–20 में भरण–पोषण हेतु प्राविधानित धनराशि (रू0 80 करोड़) का आंवटन जिलाधिकारियों को छुट्टा गोवंश के भरण–पोषण हेतु धनराशि आवंटित करने से पूर्व जनपद में पकड़े जाने वाले छुट्टा गोवंश की संख्या विकास खण्डवार, तहसीलवार एवं जिलेवार (पशुगणना अथवा त्वरित सर्वे के आधार पर) की अनुमानित आकलन/गणना कर निराश्रित/बेसहारा गोवंश की वर्तमान संख्या जिलाधिकारियों से अप्रैल 2019

में प्रत्येक दशा में प्राप्त कर ली जाय। तदोपरान्त इस निराश्रित गोवंश संख्या के आधार पर धनराशि शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही पशुपालन निदेशालय)
(समय सीमा अप्रैल 2019)

3.3 शासनादेश दिनांक 02 जनवरी, 2019 एवं दिनांक 28 जनवरी, 2019 के क्रम में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों से सम्बन्धित सूचनायें साप्ताहिक रूप से पंचायतीराज, नगर विकास एवं ग्राम्य विकास विभाग अपने-अपने विभागों के लिये नोडल अधिकारी नामित करें, जो प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को सूचना विशेष सचिव, पशुधन विभाग, (अनुभाग--2) उत्तर प्रदेश शासन तथा डा0डी0 गोयल, संयुक्त निदेशक (गोशाला) पशुपालन विभाग को प्रेषित करेंगे।

(कार्यवाही–पंचायतीराज, नगर विकास एवं ग्राम्य विकास विभाग, पशुधन निदेशालय/विभाग)

3.4 बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि मण्डी परिषद से मण्डी शुल्क/सेस से प्राप्त दो प्रतिशत धनराशि, आबकारी विभाग से प्राप्त होने वाली स्पेशल फीस की धनराशि, सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा टोल टैक्स से प्राप्त धनराशि को भी गो आश्रय स्थलों में भरण–पोषण विषयक जिलाधिकारियों की मांग के अनुरूप धनराशि का आवंटन पशुपालन विभाग द्वारा प्रस्तावित किया जायेगा। सम्बन्धित विभाग द्वारा यह धनराशि उनके विभाग से सीधे जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी।

(कार्यवाही--पशुधन विभाग, मण्डी निदेशालय, आबकारी विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत (लाभप्रद निगम आदि), पी0डब्लू0डी0, एस0एच0ए0आई0)

3.5 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों के संचालन के लिए कार्पस फण्ड की स्थापना हेतु मा0 मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जाने वाली नियमावली के प्रस्ताव पर शेष सम्बन्धित परामर्शीय विभाग यथा-- पंचायतीराज, कृषि एवं नगर विकास विभाग से परामर्श प्राप्त कर कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के माध्यम से प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही–पशुधन विभाग, पंचायतीराज विभाग, कृषि, नगर विकास विभाग)

3.6 प्रत्येक आश्रय स्थलों पर संरक्षित गोवंश के अभिलेखीकरण, भौतिक सत्यापन तथा फोटो/वीडियो/टैगिंग आश्रय स्थलों की जिओ टैगिंग कराने के दायित्व के सम्बन्ध में आश्रय स्थलों के संचालन हेतु सम्बन्धित विभाग के कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारण करने हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में निर्णय कराया जाय।

(कार्यवाही–पशुधन विभाग, कृषि उत्पादन आयुक्त)

3.7 निराश्रित/बेसहारा गोवंश को पकड़ने, उनके परिवहन करने एवं संरक्षित करने के सन्दर्भ में निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी के नेतृत्व में निराश्रित/बेसहरा गोवंश को पकड़ने के लिए कैटेल--कैचर (यथावश्यकता परिवहन सहित) की व्यवस्था कराई जाय। इन पशुओं को आश्रय स्थलों में संरक्षित करने तथा आश्रय स्थलों के संचालन करने हेतु अन्य लाइन विभाग तथा नगर निगम, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज एवं वन विभाग अपने स्तर से अपने कार्मिको के दायित्व इंगित/निर्धारित करने हेतु तथा सक्रिय सहभागता हेतु पृथक-पृथक शासनादेश निर्गत करें। बेसहारा गोवश को पकडने के लिये प्रशिक्षित श्रमिकों को पारिश्रमिक का मानक नियत करने हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त स्तर पर निर्णय कराया जाय।

(कार्यवाही--नगर विकास, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज एवं वन विभाग पशुधन विभाग, कृषि उत्पादन आयुक्त)

3.8 भरण-पोषण/संचालन हेतु दी जा रही धनराशि के सदुपयोग व पारदर्शिता हेतु विचारोपरान्त निर्णय लिया कि गो आश्रय स्थलों की अनिवार्य जियो टैगिंग तथा संरक्षित समस्त पशुओं की अनिवार्य यूआईडी टैगिंग करायी जाय।

(कार्यवाही--पशुधन विभाग)

3.9 जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर के पत्र दिनांक 05.02.2019 में किये गये अनुरोध/संस्तुति के आधार पर जनपद गौतमबुद्धनगर में औद्योगिक विकास अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित नोएडा/ग्रेटर नोएडा एवं यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भी शासनादेश दिनांक 02.01.2019, 28.01.2019, 18.02.2019 को प्रभावी करने पर सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्यवाही--डी0एम0, गौतमबुद्धनगर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, पशुधन विभाग)

3.10 आश्रय स्थलों हेतु भरण–पोषण/संचालन हेतु उपलब्ध करायी जा रही अनुदान धनराशि में परिवर्तन विषयक पुनः/अथवा खाते का लेखा–जोखा का आतंरिक व बाह्य सम्प्रेक्षा कराने विषयक

एवं/अथवा पंजीकृत गोशालाओं में जिला प्रशासन द्वारा पकड़ कर संरक्षित निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण हेतु देय भुगतान के दरों के निर्धारण विषयक उ0प्र0 गो सेवा आयोग द्वारा वर्तमान में दी जा रही धनराशि के औचित्य एवं आधार का विस्तृत आर्थिक/वित्तीय एवं तकनीकी परीक्षण कराकर तर्कसंगत प्रस्ताव निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त प्रस्ताव पर कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में पशुधन विभाग, वित्त विभाग एवं यथावश्यक सुसंगत विभागों द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जायेगा।

(कार्यवाही–कृषि उत्पादन आयुक्त, गो सेवा आयोग, समबद्ध पशुधन विभाग)

अन्त में बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

डा0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
पशुधन अनुभाग–2
संख्याः 853/सैतीस–2–2019–5(53)2018टी0सी0–1
लखनऊ :: दिनांक 15 अप्रैल, 2019

प्रतिलिपि सम्बन्धित अधिकारीगणों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।